कब्जा संभलाया गया

न्यायालय जिला कलेक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 गौरव रौनी

अपील संख्या– 42/23

तारीख रज्जू–12/09/23

1 रामजीलाल पुत्र स्व0 श्री भौरया उम्र 55 साल जाति रैगर निवासी सलारपुर तहसील गंगापुर सिटी

---अपीलान्ट

बनाम

1. किशन्या दत्तक पुत्र नेहन्या जाति रैगर निवासी सलारपुर हबीवपुर तहसील गंगापुर सिटी।
2. प्रबन्धक जरिये बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैक, शाखा गंगापुर सिटी।

-- रेस्पोडेन्टान

निर्णय

दिनांक– 27.08.2024

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार गंगापुर सिटी के प्रकरण सं0 04/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने निर्णय दिनांक 29.04.2022 के द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सलारपुर के खसरा नम्बर 375 रकबा 0.35 है0, में अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल कर रेस्पोडन्ट खातेदार को कब्जा संभलाने का आदेश पारित किया है, साथ ही अपीलान्ट ने अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 29.04.2022 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पों0 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि जमाबन्दी संवत् 2067–70 खतौनी संख्या नयी 21 व पुरानी 17 के अनुसार ख0नं0 372,373,374,375,379 सहखातेदारी की भूमि रही है, जिसमें प्रत्येक इंच पर सहखातेदार का कब्जा होना विधिक है। उक्त भूमि तत्समय गोपाल पुत्र भौर्या के कब्जे में थी। जिसका बेचान गोपाल द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किया गया था। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की ग्राम सलारपुर–हबीवपुर में स्थित खातेदारी भूमि का सहमति की आधार पर अदला बदली की गई है। उक्त वाद आराजीयात के स्थान पर रेस्पोडेन्ट को अपीलार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम हबीबपुर में दे दी गई है। जिसका स्टाम्प भी पत्रावली में संलग्न है ,साथ ही वकील अपीलार्थी ने उक्त अपील स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में निर्णय पारित किया हुआ है। उक्त निर्णय के बचाव के लिए अपीलार्थी ने वर्ष 2015 में सिविल न्यायालय में दावा पेश किया। अपीलार्थी को सिविल न्यायालय से स्थगन नहीं मिलने पर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है। जो मियाद बाहर है। उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में अपीलार्थी का कब्जा नहीं है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा बैक से लोन ले रखा है, साथ ही वकील रेस्पोडेन्ट ने अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

27/8/24
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई ,उस पर मनन किया गया व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की ग्राम सलारपुर–हबीवपुर में स्थित खातेदारी भूमि का राहमति के आधार पर अदला बदली की गई है। उक्त वाद आराजीयात के स्थान पर रेस्पोडेन्ट को अपीलार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम हबीबपुर की रेस्पोडेन्ट को देना अवगत कराया है। लेकिन अपीलार्थी पक्ष द्वारा उक्त तथ्य के संबंध में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त वाद आराजीयात की वर्तमान जगाबन्दी के अनुसार भी उक्त वाद अराजीयात रेस्पोडेन्ट सं0 1 किशन्या दत्तक पुत्र नेहन्या के नाम खातेदारी दर्ज है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 1 के पक्ष में तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 में अपीलान्ट कोई भी विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि सिद्ध करने में असमर्थ रहा है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिगत में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.04.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/8/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)